

विदेश व्यापार पुस्तकालय
FOREIGN TRADE LIBRARY

नियम और विनियम 31 दिसंबर, 1998
(शुद्धिपत्र 2007)

RULES AND REGULATIONS
AS ON DECEMBER 31, 1998
(with Errata 2007)



भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

बी -21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110016

INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE

B-21, QUTAB INSTITUTIONAL AREA, NEW DELHI - 110016

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
विदेश व्यापार पुस्तकालय
INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE
FOREIGN TRADE LIBRARY

नियम और विनियम
RULES AND REGULATIONS

1. सदस्यता

MEMBERSHIP

आईआईएफटी स्टाफ, संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों, संस्थागत सदस्यों, शोधकर्ताओं, व्यापार एवं उद्योग तथा अन्य सभी श्रेणियों के पाठकों के लिए सदस्यता खुली है।

The membership is open to all categories of readers, IIFT Staff, Participants of different training courses conducted by the Institute, Institutional Members, Research Scholars, People from Trade and Industry and others.

1.2 आईआईएफटी संकाय/अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी शुल्क या जमा भुगतान से छूट दी जाएगी।

IIFT Faculty/Officers/Staff shall be exempted from payment of any fee or deposit.

1.2(क) प्रबंधन मंडल के सदस्यों, आईआईएफटी सदस्यों (स्थायी, एसोसिएट, व्यावसायिक आदि) व्यक्तिगत सदस्यों (विभिन्न विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधकर्ता), सरकारी अधिकारियों तथा व्यापार और उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को पुस्तकालय प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट दी जाएगी। वे केवल परामर्श/पढ़ने के लिए कक्ष की सुविधा के पात्र होंगे। उन्हें किताबें जारी नहीं की जाएंगी। उपर्युक्त श्रेणीबद्ध व्यक्तिगत सदस्यों को परामर्श शुल्क के रूप में राशि ₹20/- प्रति दिन की दर से भुगतान करना होगा।

- (a) Governing Body Members, IIFT Members (Permanent, Associate, Professional etc.) Individual Members (Research Scholars registered with various Universities, Government Officers and People from Trade and Industry) shall be exempted from payment of any Library Security Deposit. They will be entitled to consultation/reading room facility only. No books will be issued to them. However, Individual Members as categorized above shall be required to pay ₹20/- as a consultation fee for a day.

1.2(ख) अध्यक्ष पुस्तकालय समिति की संस्तुति पर भूतपूर्व आईआईएफटी संकाय तथा अतिथि संकाय को विशेष पुस्तकालय सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा।

(b) Ex IIFT Faculty and Guest Faculty shall be enrolled as special Library Members on the recommendation of the Chairman Library Committee.

1.2(ग) आईआईएफटी प्रतिभागियों, भूतपूर्व आईआईएफटी संकाय तथा विशेष पुस्तकालय सदस्यों को पुस्तकालय प्रतिभूति जमा राशि ₹500 का भुगतान करना होगा। (₹5000/- शुद्धिपत्र देखें)

(c) IIFT Participants, Ex-IIFT Faculty and Special Library Members shall be required to pay a Library Security Deposit of ₹500/- (₹5000/-See Errata)

1.2(घ) प्रबंधन मंडल के सदस्यों को अनुरोध आधार पर पुस्तकालय सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा। वे किसी भी पुस्तकालय प्रतिभूति जमा राशि के भुगतान से मुक्त होंगे।

(d) Governing Body Members shall be enrolled Library Members on request. They will be exempt from paying any Library Security Deposit.

1.2(ड) कभी-कभी पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले प्रशासक/शिक्षाविद/अनुसंधानकर्ता प्रति दिन राशि ₹20/- की दर से भुगतान कर पुस्तकालय सुविधाएं ले सकते हैं।

(e) Administrators/Academicians/Researchers who wish to use Library facilities occasionally may do so on payment of ₹20/- per day.

1.2.1 सदस्यता का वार्षिक नवीनीकरण 31 मार्च को या उससे पूर्व कराना होगा।

Membership will have to be renewed annually on or before 31st March.

1.3 पुस्तकालय प्रतिभूति जमा पुस्तकालय सदस्यता खत्म करने पर वापस देय है।

Library Security Deposit is refundable on withdrawal of Library Membership.

2. पुस्तकालय में प्रवेश

ADMISSION TO THE LIBRARY

2.1 प्रवेश द्वार पर सदस्यता पहचान पत्र मांगे जाने पर दिखाना होगा।

Membership Identity Card is required to be shown at the gate when required.

- 2.2 निजी सामान (पठन-पाठन से संबंधित सामग्री सहित) पुस्तकालय के अंदर ले जाना वर्जित होगा। सामान को प्रॉपर्टी काउंटर पर जमा किया जा सकता है। सामान के प्रॉपर्टी काउंटर से खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में पुस्तकालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

Personal belongings (including reading material) shall not be allowed to be taken inside the Library. Such belongings are to be deposited at the Property Counter. Library does not accept any responsibility for loss or damage to personal property left at the Counter.

3. पाठक टिकट

READER'S TICKETS

- 3.1 पुस्तकालय में पठन-पाठन के लिए सदस्यों को अनुमत टिकटों की संख्या निम्नोक्त है।

The number of Library Reader's Tickets issued to the Members will be as follows:

- (क) संस्थान के संकाय सदस्य/शोधार्थी : 10
(ख) संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी : 05
(ग) संस्थान के प्रतिभागी : 03
(घ) पुस्तकालय के विशिष्ट सदस्य : 02
(ङ) नियम 1.2 (ए) में वर्णित सभी सदस्य बिना किसी पुस्तकालय सुविधा के केवल पुस्तक परामर्श व पाठन सामग्री अध्ययन के पात्र होंगे।
(छ) व्यक्तिगत सदस्य (कृपया शुद्धि-पत्र देखें)
- | | |
|---|----|
| (a) IIFT Faculty/Research Staff | 10 |
| (b) IIFT officers/Staff | 5 |
| (c) IIFT Participants | 3 |
| (d) Special Library Members | 2 |
| (e) All Members as categorized under Rule 1.2 (a) will be entitled only consult books and read in the Library without borrowing facility. | |
| (f) Individual Member (See Errata) | |

- 3.11 सदस्यों का टिकट अहस्तांतरणीय है।

Reader's Tickets are non-transferable.

4. सदस्यता टिकट खो जाने पर

LOSS OF READER'S TICKETS

- 4.1 सदस्यता टिकट खो जाने पर पुस्तकालयाध्यक्ष को लिखित रूप में तत्काल सूचित करना होगा।

The loss of Reader's Tickets should be immediately reported to the Librarian, in writing.

- 4.2 खोए हुए टिकट के दुरुपयोग रोकने के निमित्त पुस्तकालय द्वारा अपेक्षित सावधानी रखी जाएगी जबकि संबद्ध पाठक खोए हुए टिकट से संबन्धित दुरुपयोग के लिए जिम्मेवार होंगे भले ही उन्हें टिकट की ड्यूप्लिकेट प्रति जारी की गई हो।

Due care shall be taken by the Library to prevent misuse of lost Tickets. However, the reader concerned shall continue to be responsible for any loss due to the misuse of the lost ticket even after having been issued duplicate tickets.

- 4.3 खोए हुए मूल टिकट की सूचना देने के पंद्रह दिनों के पश्चात ही ड्यूप्लिकेट टिकट जारी की जाएगी प्रत्येक ड्यूप्लिकेट टिकट के लिए ₹5/- प्रति टिकट की दर से भुगतान देय होगा।

Duplicate tickets may be issued on request after a period of 15 days after the report of the loss was made. A member shall be required to pay ₹5/- for each duplicate ticket issued.

5. आहरण की शर्तें

CONDITIONS OF LOAN

- 5.1 आईआईएफटी के सदस्यों को एक बार में एक सप्ताह के लिए पुस्तक जारी की जाएगी।

The book shall be issued to IIFT Participants for a week at a time.

- 5.1(क)नियम 1.2 (बी) के अंतर्गत संस्थान के संकाय सदस्य व पुस्तकालय के विशिष्ट सदस्य एक महीने के लिए पुस्तकों के आहरण के लिए प्राधिकृत हैं जबकि पत्र-पत्रिका की पुरानी प्रतियाँ उन्हें अधिकतम दो दिनों के लिए जारी की जाएंगी।

- (a) For IIFT Faculty and Special Library Members as categorized under Rule 1.2(b) the period of loan for books shall be one month and old issues of periodicals shall be issued to them for a maximum period of two days.

- 5.1(ख)व (ग) व्यक्तिगत सदस्य (कृपया शुद्धि-पत्र देखें)

(b) & (c) Individual Member (See Errata)

- 5.1.1 एक पाठक को एक टिकट पर एक पुस्तक जारी की जाएगी।

One book shall be issued against one Reader's Ticket.

- 5.1.2 सभी पाठकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुस्तकालय संचलन पटल पर पुस्तकों का आहरण व लौटया जाएगा।

All readers shall personally get the books issued and also return them at the Library Circulation Counter.

- 5.1.2.1 पुस्तकालय से आहरित पुस्तकें गार्ड को दिखाना सभी पाठकों के लिए अनिवार्य है।

All readers will need to show the books borrowed by them to the Guard at the Gate.

5.1.3 विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सदस्यों को पुस्तकों की प्राप्ति व जमा करने के समय पुस्तकालय प्रसार पटल पर पहचान पत्र के साथ पाठक टिकट दिखाना होगा।

Participants of various training programme will be required to present their Identity Cards along with the Reader's Tickets at the Library Circulation Counter for getting the books issued and at the time of return of the books.

5.1.4 आईआईएफटी संकाय सदस्य/अधिकारीगण/कर्मचारी व पुस्तकालय के विशिष्ट सदस्य पुस्तकों के आहरण के समय पाठक टिकट के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करेंगे।

IIFT Faculty/Officers/Staff and special Library Members shall sign at the back of the Book Ticket when a book is issued to them.

5.1.5 विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सदस्य यदि पुस्तकालय से 'कुछ भी देय नहीं प्रमाण-पत्र' प्राप्त नहीं करते हैं तो उन्हें अंतिम परीक्षा में मौखिक परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

Participants of various training programme who do not produce a No Due Certificate from the Library will not be allowed to appear for the Viva Voce for their final examination.

5.1.5.1 आईआईएफटी के प्रतिभागी सदस्य को चाहिए की वे अंतिम परीक्षा समाप्त होने के नब्बे दिनों के अंदर प्रतिभूति राशि प्राप्त कर लें।

Participants of IIFT Programmes should collect Security Deposit within 90 days after the final examinations are over.

5.1.6 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अध्यक्ष/कार्यक्रम निदेशक डिग्री/प्रमाण-पत्र प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे की कार्यक्रम के सदस्यों ने पुस्तकालय से 'कुछ भी देय नहीं प्रमाण-पत्र' लिया है।

The Chairman/Programme Director of other training Programme shall ensure that the participants of the programme have taken "No Due Certificate" from the Librarian before a decision to award Degree/Certificate to them is taken.

5.2 पुस्तकें फिर से जारी की जा सकती है बशर्ते

Books may be Re-issued provided.

- समान पुस्तक किसी अन्य पाठक द्वारा आरक्षित न की गई हो।

- No other reader has reserved the same book.

- कोई भी सदस्य पुस्तकों के लगातार दो से अधिक बार नवीकरण का पात्र नहीं होगा।

- Not more than two renewals have already been made by the member consecutively.

5.3 पुस्तक/पत्रिका जमा करने के नियत तिथि समापन के पश्चात जुर्माना स्वरूप प्रति पुस्तक/प्रति जरनल्स ₹1/- प्रति दिन की दर से वसूल किया जाएगा। जुर्माना की राशि सदस्यों/उपयोक्ताओं

द्वारा पुस्तकालय प्रसार पटल पर नकद जमा करना होगा और प्राप्ति रशीद प्राप्त की जाएगी। पटल लिपिक द्वारा संग्रहीत की गई जुर्माना राशि सप्ताहांत में वित्त विभाग को सुपुर्द की जाएगी।

An overdue charge of ₹1/- per book, per day, will be charged if the books/journals are not returned to the Library when due. The fine shall be paid in cash at the Library Circulation Counter and receipt collected by the Member/User. The fine thus collected shall be deposited by the Counter Clerk with the Finance Section on the last working day of the week.

- 5.4 संदर्भ पुस्तकें, प्रतिवेदन, दुर्लभ पुस्तकें, मिमिओग्राफ्ड दस्तावेज, पुनरुत्पादित सामाग्री तथा पत्रिका के खुले प्रकाशन जारी नहीं किए जाएंगे।

Reference books, reports, rare books, mimeographed documents reproduction materials and loose issues of periodicals shall not be issued.

- 5.4.1 आरक्षित अनुभागों से पुस्तकें जारी नहीं की जाएंगी। यदि किसी विशेष मामले में पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुमति से रात भर के लिए जारी किए गए हैं तथा समय पर नहीं लौटाई जाती हैं तो प्रति पुस्तक व प्रति दिन ₹10.00 के हिसाब से अतिरिक्त समयावधि जुर्माना वसूला जाएगा।

Books from the Reserved Section shall not be issued. If issued in special case with the permission of the Librarian for overnight, an Over Due Fine of ₹ 10.00 per book, per day, will be charged, if not returned on time.

- 5.5 पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी समय वापस करने की शर्त पर पुस्तकें जारी की जाती हैं।
Books on loan are subject to recall by the Librarian at any time.

- 5.6 पुस्तकालयाध्यक्ष अपने विवेक से किसी भी पुस्तक को जारी करने से रोक सकता/सकती है।
The Librarian may at her/his discretion stop the issue of any book.

- 5.7 जारी की गई पुस्तकों की समयावधि की समाप्ति पर सामान्य रूप से अनुस्मारक भेजा जाएगा। पुस्तकों के देर से वापसी के लिए अनुस्मारक न मिलने को आधार नहीं बनाया जाएगा।
Reminders for overdue books will normally be sent. However, non-receipt of a reminder shall not be a ground for late return of books.

- 5.8 बार-बार देरी से पुस्तकें वापसी के परिणामस्वरूप आईआईएफटी पुस्तकालय की सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है।

Repeated delay in return of books may result in suspension from the membership of IIFT Library.

6. पत्रिकाओं/जर्नल्स का गुम होना
LOSS OF BOOKS/JOURNALS

- 6.1 यदि सदस्य, उसकी टिकट पर जारी की गई किसी पुस्तक को खो देता है या खराब कर देता है तो वह उसके बदले पुस्तक वापस करेगा या नीचे निर्दिष्टानुसार उसकी कीमत का भुगतान करेगा/करेगी।

If a Member Loses or damages any book issued against his/her ticket, he/she shall either replace the publication due from him/her or pay the cost as specified below:

ए) मूल्य वाली पुस्तकें
PRICED BOOKS

- क) नवीनतम संस्करण की कीमत (यदि उपलब्ध हो) अन्यथा पुस्तकालय के रिकॉर्ड के अनुसार मूल मुद्रित कीमतों का दोगुना।

Price of the latest edition, (if available) otherwise double the original printed prices as per Library records;

- ख) यदि पुस्तकों के सेट से एक खंड गुम होने पर पूरे सेट की कीमत।

Price of the whole set if the book lost is one of the volume of a set.

बी) मूल्य रहित पुस्तकें
UNPRICED BOOKS

आईआईएफटी प्रकाशनों के लिए राशि ₹50 तथा गैर आईआईएफटी पुस्तकों के लिए राशि ₹100/- प्रति पुस्तक जुर्माना वसूला जाएगा।

₹50/- for IIFT publications and ₹100/- for non-IIFT.

कृपया संलग्न शुद्धिपत्र देखें।

Please see at errata enclosed.

सी) जर्नल्स
JOURNALS

सदस्य को उसको जारी किए गए जर्नल्स के बदले उसकी प्रतिलिपि या पूरे खंड की कीमत अदा करनी होगी।

The borrowers may replace photocopies of the issues of the journals outstanding against their names or pay the price of the complete volume.

7. सामान्य GENERAL

- 7.1 सदस्य को सदस्यता की अवधि में पते संबंधी किसी भी बदलाव के बारे में पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करते रहना चाहिए।
Member should keep the Librarian informed of any change in address during the period of membership.
- 7.2 निदेशक/अध्यक्ष पुस्तकालय समिति किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी शर्तों के अंतर्गत जिसे वह प्रत्येक स्थिति में उल्लिखित कर सके विशेष अनुमति प्रदान कर सकते हैं।
DG/Chairman Library Committee may grant special permission to any person to borrow books on such conditions as he/she may specify in each case.
- 7.3 पुस्तक प्राप्तकर्ता पुस्तक लेने से पहले उनकी हालत से खुद को संतुष्ट करेगा। किताबें पहले से ही क्षतिग्रस्त हो तो किताब की वापसी के समय उसका कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं जाएगा।
The borrowers shall satisfy themselves about physical condition of Books before borrowing. No plea that the books was already damaged will be entertained at the time of return of the book.
- 7.4 पाठक को पुस्तक व जर्नल्स में लिखने, निशान आदि या अन्यथा विरूपित और नुकसान की अनुमति नहीं है। यदि पाठन सामग्री में किसी प्रकार की क्षति पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को अपने स्तर पर लागत का भुगतान करना होगा।
Readers are not to write in, mark or otherwise disfigure and damage books and journals. In case any damage is caused to reading material, the person concerned will be required to pay its cost.
- 7.5 पुस्तकालय में खाने, पीने और धूम्रपान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Eating, drinking and smoking shall not be permitted in the Library.
- 7.6 बिना पूर्व अनुमति के कोई भी पुस्तकालय वितरण काउंटर में प्रवेश या पुस्तकालय टेलीफोन का उपयोग नहीं करेगा।
No one shall enter the Library Circulation Counter or use the Library telephone without prior permission.

.....

शुद्धिपत्र/ERRATA

छात्र/प्रतिभागियों/व्यक्तिगत सदस्यों के लिए पुस्तकालय नियम और विनियम
Library Rules and Regulations for Student/Participants/Individual Members

1. पुस्तकालय सदस्यता शुल्क राशि ₹500/- प्रतिवर्ष (अप्रतिदेय) (सदस्यता कैलेंडर वर्ष/ वित्तीय वर्ष के लिए वैध है)।
Library membership fee ₹500/- annually (Non-Refundable) (Membership valid for financial year of calendar year)
2. प्रतिभूति जमा राशि ₹ 5000/- प्रतिवर्ष (प्रतिदेय)
Security Deposit of ₹ 5000/- (Refundable)
3. एक बार में जारी दो लाइब्रेरी टिकट केवल दो पुस्तकों के लिए तीन सप्ताह की अवधि के लिए।
Issue of 2 Library tickets only i.e. 2 books at a time for the period of 3 weeks.
4. तीन सप्ताह के बाद विलंब शुल्क राशि ₹10/- प्रति दिन।
Late fee charge of ₹10/- per day after three weeks.
5. यदि कोई पुस्तक तीन माह की अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती है तो पुस्तकालय द्वारा प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा जब तक मामले का निपटारा नहीं होता सदस्य की सभी पुस्तकालय सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
In case of any book not returned within the period of 3 months, security deposit will be forfeited by the Library and all types of Library services of the member will be terminated till the settlement of matter.
6. संदर्भ पुस्तकें जारी नहीं की जाएंगी।
Reference books will not be issued.

उक्त नियम व शर्तें निदेशक द्वारा अनुमोदित किए जाने पर नियम तथा विनियम में संशोधित किए जाएंगे एवं पुस्तकालय नियम और विनियमों के शुद्धिपत्र में संकलित की जाएंगे।

If the above terms and conditions are approved by the Director, the above Rules and Regulations will be amended and added in "ERRATA" of Library Rules and Regulations.

1. सदस्यता

MEMBERSHIP

1.2(च)व्यक्तिगत सदस्य निम्नलिखित नियम और शर्तों पर किताबें जारी कराने के लिए पात्र होंगे:

Individual members shall be entitled for borrowing books on the following terms and conditions:

(क) वार्षिक सदस्यता सह सेवा शुल्क राशि ₹500/- (अप्रतिदेय) (सदस्यता लेने के समय से वैध होगी)।

Annual Membership cum service charge of ₹500/- (Non-refundable)
(Membership valid from the time the individual takes the membership)

(ख) प्रतिभूति राशि ₹5000/- (प्रतिदेय)

Security deposit of ₹5000/- (Refundable)

(ग) एक बार में जारी दो लाइब्रेरी टिकट केवल दो पुस्तकों के लिए तीन सप्ताह की अवधि के लिए

Issue of 2 Library tickets only i.e. 2 books at a time for the period of 3 weeks.

(घ) तीन सप्ताह के बाद विलंब शुल्क राशि ₹10/- प्रति दिन।

Late fee ₹10/- per day after three weeks.

(ङ) यदि कोई पुस्तक तीन माह की अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती है तो पुस्तकालय द्वारा प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा जब तक मामले का निपटारा नहीं होता सदस्य की सभी पुस्तकालय सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

Any book not returned within the period of 3 months, security deposit will be forfeited by the Library and all types of Library services of the member will be terminated till the settlement of matter.

1.2(ग.1) नियम 1.2 (f) की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सदस्यों को वार्षिक लाइब्रेरी सदस्यता शुल्क राशि ₹500/-(अप्रतिदेय) सहित पुस्तकालय सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ₹5000/-(प्रतिदेय) का भुगतान करना होगा।

(c.1) The members falling under category of 1.2(f) shall be required to pay Annual Library membership fee of ₹500/- (Non-Refundable) along with the Library Security Deposit of ₹5000/- (Refundable).

3. पाठक टिकट

READER'S TICKETS:

- 3.1 नियम 1.2 (f) के अंतर्गत वर्गीकृत व्यक्तिगत सदस्य 2 पुस्तकालय पाठक टिकट प्राप्त करने का पात्र होगा।

Individual member as categorized under Rule 1.2(f) will be entitled to get 2 Library Readers Tickets.

5. पुस्तक रखने की शर्तें

Condition of Loan

- 5.1(ख) नियम 1.2 (f) के अंतर्गत वर्गीकृत व्यक्तिगत सदस्य के लिए पुस्तकें रखने की अवधि तीन सप्ताह होगी।

(b) For individual member as categorized under Rule 1.2 (f) the period of loan for books shall be three weeks.

(ग) नियम 1.2 (f) के अंतर्गत वर्गीकृत व्यक्तिगत सदस्य द्वारा यदि 3 माह के अंदर किताबें नहीं की जाती हैं तो पुस्तकालय द्वारा प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और जब तक मामला निपटाया नहीं जाता सदस्य की सभी पुस्तकालय सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

(c) For individual member as categorized under Rule 1.2 (f) in case of non-return of any book within the period of 3 months, security deposit will be forfeited by the Library and all types of Library services of the member will be terminated till the settlement of the matter.

- 5.3.1 नियम 1.2 (f) के अंतर्गत वर्गीकृत व्यक्तिगत सदस्य द्वारा यदि निर्धारित समय पर किताबें जमा नहीं की जाती हैं तो उससे प्रति दिन प्रति पुस्तक राशि ₹10/- वसूला जाएगा।

An overdue charge of ₹10 per book per day will be charged by the individual member who comes under Rule 1.2(f), if the book is not returned to the Library when due.